संख्या : 52 सी(2)/XXXVI(1)/2006 12 सी(1)/06

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,

नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2006

विषयः मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल परिसर में स्थित बैरक संख्या 3ए, 4ए, 5ए एवं 6ए में तारफेन्सिंग बिछाने से सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3203/UHC/ Admin.B/Const./2006, दिनांक 3.8.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल परिसर में स्थित बैरक संख्या 3ए, 4ए, 5ए एवं 6ए में तारफेन्सिंग बिछाने से सम्बन्धित कार्य हेतु रू० 3,34,000/- के आगणन के विरूद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रू० 2,66,000/- (रुपये दो लाख छियासठ हजार मात्र) की लागत के आगणन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू० 2,66,000/- (रुपये दो लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लो जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

(9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा दिये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00 आयोजनेत्तर 102 उच्च न्यायालय 03 उच्च न्यायालय 00 25 लघुनिर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-744/XXVI(5)/2006, दिनांक 14.12.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-52-दो(2)/XXXVI(1)/2006-12 दो(1)/06 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग 5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम०एस०सेमवाल)
अनु सचिव ।